



## मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०

तृतीय तल, अपट्टान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैस नं०-0522-6666192

ई मेल-lkomdm@gmail.com

फैस नं०-0522-2308501, 2307093, 2307094

Website : www.upmdm.org

पत्रांक: म०भो०प्रा० / C-3335 / 2011-12

दिनांक २५ अक्टूबर, 2011

सेवा 1,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा निदेशक (बेसिक),  
उत्तर प्रदेश।

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2011-12 में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपदीय स्तरीय व्यय मद में धनावंटन के क्रम में बैंक ड्राफ्टों का प्रेषण।

**महोदय,**

मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना के प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (एम०एम०ई०) मद में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु अनुमोदित कार्य योजना में संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास हेतु कुल रू० 1,51,20,000.00 (रू० एक करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार मात्र) का धनावंटन वेतन, यात्रा भत्ता एवं अनुसांगिक व्यय मद में किया जा रहा है। प्रति जनपद निम्नानुसार आवंटन किया जा रहा है:-

1. जनाद समन्वयक का वेतन रू० 20000.00 प्रतिमाह की दर से (06 माह हेतु)	रू० 1,20,000.00
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर का वेतन रू० 10000.00 प्रतिमाह की दर से (06 माह हेतु)	रू० 60,000.00
3. यात्रा व्यय रू० 3000.00 प्रतिमाह (06 माह हेतु)	रू० 18,000.00
4. कन्टीनेन्सी व्यय रू० 2000.00 प्रतिमाह (06 माह हेतु)	रू० 12,000.00
योग	रू० 2,10,000.00

उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों की संलग्न सूची के विवरणानुसार धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। धनराशि का व्यय निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा:-

1. धनराशि का व्यय योजना के प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद के अन्तर्गत "जनपदीय स्तरीय व्यय" उपमद के अन्तर्गत वेतन, यात्रा भत्ता एवं अनुसांगिक व्यय मद के नामे डाला जायेगा।
2. प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद के अन्तर्गत धनावंटन तथा व्यय का अलग से लेखा खाता रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण संलग्न प्रारूप पर मासिक रूप से आगामी माह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत धनराशि का व्यय किसी अन्य योजना/उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
5. आवंटित धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उक्त धनराशि के व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

**संलग्नक:-** (1) आवंटित धनराशि की सूची, बैंक ड्राफ्ट का विवरण संख्या व दिनांक

(2) बैंक ड्राफ्ट का लेखा खाता

भारतीय,

(सुधांशु त्रिपाठी)

मुख्य वित्त अधिकारी